JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. आशा मीणा

सार –

महिला विकास और महिला सशक्तिकरण के कारण वर्तमान संदर्भों में देखें तो समय के साथ–साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। समय बदल रहा है। दमन, उत्पीड़न और शोषण से मुक्त होकर महिलाएं जागरूक हो रही है। आज महिलाएं विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी अनोखी पहचान बना रही है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण के कारण आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के समन्वित, संगठित प्रयास हो क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

मुख्यशब्द – महिला विकास, सशक्तिकरण, संवैधानिक अधिकार, शोषण, दमन, उत्पीड़न, संयुक्त राष्ट्रसंघ, महासभा, भेदभाव, पैतृक संपत्ति, हिंदू लां, कानून, जागरूकता, कार्यशीलता, समानता

प्रस्तावना–

महिला सशक्तिकरण के इस युग में यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सभी महिलाओं को अपने अधिकारों की समुचित जानकारी हो। अपने अधिकारों की संपूर्ण जानकारी होने पर ही महिलाएं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगी और समाज में अपनी एक पहचान कायम करेंगी। आज यह समय की मांग है कि महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकारों से अवगत कराया जाए जिससे कि वह अपने सर्वांगीण विकास को स्वयं सुनिश्चित कर सकें पर सिर्फ अधिकारों की जानकारी होने से ही महिलाएं अपना विकास नहीं कर सकती, बल्कि उन अधिकारों के व्यवहार में प्राप्त करने के तरीकों का ज्ञान होना भी आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल उस समय हुई जब 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ के ''महासभा'' ने "महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय" को सर्व सहमति से स्वीकार किया। इस अभिसमय

को 'महिलाओं के लिए अधिकारों का सर्वसहमति विलेख–पत्र' कहा जाता है। इस अभिसमय के आधार पर भारत सरकार ने भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कुछ संवैधानिक प्रावधान किए हैं।

महिला अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान –

अनुच्छेद –1 में निहित प्रावधानों तथा उसके उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भी महिलाओं को समान्ता प्रदान की गई है। इस परिपेक्ष्य में उन्हें पुरुषों के समान ही संविधान के भाग–III में वर्णित छः मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।–

- प्रस्तावना (प्रस्थिति तथा अवसर की समानता)
- मौलिक अधिकार (अनुच्छेद –14,15 तथा 16 में समानता के सामान्य सिद्धांत)
- राज्य नीति–निर्देशक सिद्धांत (राज्य नीति–निर्देशक के विविध रूप में समानता को सुनिश्चित किया है)

भेदभाव रोकने हेतु नीति निर्धारण –

अनुच्छेद –2 के अनुसार सभी संविद राष्ट्र महिला विरोधी सभी तरह के भेदभाव की निंदा करते हैं एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने हेतु सभी राष्ट्र नीति निर्धारित कर समुचित उपाय करेंगे।

- स्त्री–पुरुष समानता को व्यवहारिक व कानूनी रूप देना
- महिला विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दंडात्मक विधान का प्रावधान करना
- महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना
- राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा महिलाओं को सुरक्षा देना
- व्यक्ति विशेष या संस्था द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना।

भारतीय कानून में प्रावधान –

प्रसव पूर्ण परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 –

लड़कियों के साथ भेदभाव की नीति के तहत उन्हें गर्भ में ही समाप्त करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु इस अधिनियम के द्वारा असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर जन्म पूर्व परीक्षण कर बालिका भ्रूण की लिंग पर आधारित पहचान कराने पर रोक लगायी गई है।

इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर लिंग परीक्षण करने वाले और लिंग परीक्षण कराने वाले दोनों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

बच्चे पर मां का अधिकार –

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 फरवरी 1999 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में पिता की तरह माँ को भी एक नाबालिक बच्चे की स्वाभाविक अभिभावक होने का अधिकार दिया गया है। इस निर्णय के पूर्व न्यायिक मान्यता यह थी कि पिता के नहीं रहने पर ही माँ बच्चे की संरक्षिका होगी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से अब पुरुष प्रधान समाज में यह स्वीकार्य होगा कि बच्चे के संदर्भ में पिता के समान ही माँ का भी महत्व है।

पति की संपत्ति में हक –

सरकार ने वर्ष 2012 में 18 मई को तलाक बिल पर मुहर लगाई जो तलाक की सूरत में पति की आधी अचल संपत्ति का हक पत्नी को देगा अभी तक प्रॉपर्टी पति के नाम ही होती है ऐसे में महिलाओं को अपना हक हासिल करने में दिक्कतें होती है। हालांकि जब पैतृक संपत्ति में हक मिल रहा है तो तलाक के बाद पति की संपत्ति में हक क्यों मिले? सर्वोच्च न्यायालय की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इसकी काट में कहती है अगर तलाक के वक्त महिला उसी घर में रहती है, जहां सास–ससुर भी है, तो उसे वह घर छोड़ना होगा। दूसरी तरफ मानुषी की संपादक और सामाजिक कार्यकर्ता मधुकिश्वर को लगता है कि तलाक कानून का दुरुपयोग हो सकता है। इनका मानना है कि अगर महिला ने शादी के बाद अपने परिवार को बनाने में अपनी जिंदगी लगाई है तो वह इसकी हकदार है। उनके अनुसार कुछ महिलाएँ चन्द महीनों के लिए शादी कर संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए तलाक का रास्ता अपना सकती है।

निर्भया फंड का सही इस्तेमाल जरूरी –

वर्ष 2013–14 के बजट में पी. चिदंबरम ने जेंडर बजटिंग के तहत 971 अरब रुपए अलग रखें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया, जिसके लिए 1000 करोड रुपए अलग है हालांकि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन का कहना है कि इसमें इस्तेमाल न होने वाली रकम के बारे में कुछ नहीं बताया (इससे लगता है कि सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए बिना ही, महिलाओं का भरोसा हासिल करने के लिए महज चाल चली है मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील वृंदा ग्रोवस का कहना है कि निर्भया फंड का ऐलान स्वागत योग्य कदम है लेकिन सरकार को यह निश्चित करना होगा कि यह रकम पीड़ितों के काम आए।

पिता की संपत्ति में हक –

सरकार ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन किया। तब लग रहा था कि महिलाओं/ लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लगेगा लेकिन ज्यादातर मामलों में महिलाओं को पिता की अचल संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। हालांकि हिंदू लॉ कहता है कि पिता की जायदाद बेटे और बेटी में बराबर बांटी जाए लेकिन वसीयत तैयार करते वक्त

ज्यादातर पिता अपनी संपत्ति बेटों के नाम कर देते हैं। ऐसे में बेटियों/महिलाओं को संपत्ति में हक नहीं मिलता है।

घरेलू हिंसा कानून 2005 –

महिलाओं के हक के लिहाज से पिछले कुछ साल बेहद अहम रहे हैं। 'घरेलू हिंसा कानून' 2005 लागू होने के बाद माँ, बहन, पत्नी, कुक, मेड जैसी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है इन सभी को इस कानून के तहत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मौखिक और यौन अत्याचार से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है की कई महिलाएं सामाजिक वजहों से घरेलू हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए सामने आने से हिचकिचाती है, हालांकि वे शिकायत करती है तो कोर्ट से उन्हें राहत भी मिलती है। इस प्रकार महिलाओं को बहुत से संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है।

महिला सशक्तिकरण –

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टिकोण से देखे तो महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच और नियंत्रण प्राप्त करती है। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं और ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है। सशक्तिकरण के कारण वर्तमान समय में कामकाजी महिलाएं बदलते हुए वैश्विकरण के दौर में समय के साथ बदलते परिवेश में अपना सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो रही है। सरकारी और निजी कार्यस्थल व घर के काम में अपने प्रबंधन की भूमिका बखुबी निभाती है। समय के साथ शिक्षा का भी विकास होने लगा है, नवीन तकनीकी से पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आने लगी है। भारत में औसतन प्रत्येक घर की महिलाएं घर के बाहर या घर पर कुछ ना कुछ कार्य करने में लगी है साथ ही साथ अपने निजी जीवन को भी गतिशील रखने का प्रयास करती है। कामकाजी महिलाएं अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारने के लिए कार्य करती है। इतनी महंगाई के इस युग में वह न केवल घर के पुरुष की आय पर ही निर्भर नहीं रहती वरन वह स्वयं भी कार्य कर खर्च का बोझ उठाने लगी है।

निष्कर्ष –

महिला विकास और महिला सशक्तिकरण के कारण आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है। महिला शिक्षा के बढ़ते स्तर ने महिलाओं को कामकाजी होने की प्रेरणा दी है। और उनकी प्रवृत्ति कामकाजी हो गई

है। वर्तमान में वे विविध भूमिका का निर्वाहन कर रही है, आज सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान पदों पर आसीन है, राजनीतिक सत्ता का क्षेत्र हो या आई.ए.एस. ऑफिसर की कुर्सी, अभीनय की अभिव्यक्ति हो या साहित्य का क्षेत्र, चिकित्सा, कानूनी सलाहकार, प्रशासन से संबंधित क्षेत्र हो या फिर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का सभी में महिलाओं के कामकाज का विस्तार हुआ है। कामकाजी महिलाएं अपनी योग्यता से धन अर्जित करती है। और अर्जित धन से पारिवारिक आर्थिक संरचना में अपना योगदान देकर आर्थिक संबल प्रदान करती है।

संदर्भ सूचीः–

1. कुमारी सीमा, महिला अधिकार और भारतीय प्रावधान, उपकार प्रकाशन आगरा
2. दैनिक भास्कर, उदयपुर संस्करण 10 मार्च 2013 पृष्ठ 1
3. राजस्थान पत्रिका, उदयपुर संस्करण 10 दिसंबर 2014 पृष्ठ 1
4. डॉ. सहारिया, फूलसिंह वर्मा, देशराज, महिला सशक्तिकरण : यथार्थ एवं आदर्श, बाबा पब्लिकेशन, जयपुर प्रथम संस्करण 2018
5. सिंह राजबाला, मानवाधिकार और महिलाएं, आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर 2011
6. चतुर्वेदी प्रो. अरुण, लोढ़ा संजय (2005), भारत में मानव अधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
7. यादव डॉ. वीरेंद्र, इक्किसवीं सदी का महिला सशक्तिकरण, आमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
8. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, मॉड्यूल –11 महिला विकास एवं सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश पृष्ठ 9